दिनाँक 08-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण पर कार्यवाही के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के नेतृत्व में दिनांक 08.07.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त सादिक पुत्र यासीन निवासी ग्राम सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *को चिलकाना रोड से ग्राम मरवा को जाने वाले रास्ते पर माडी के पास से अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 280/2026 धारा- 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सादिक पुत्र यासीन निवासी ग्राम सलेमपुर गदा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चाकू,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 मौ0 उमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *हे0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *रि0आ0 471 सुधांशु शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन व दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 07.07.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुफियान खान पुत्र शमशुद्दीन खान निवासी ग्राम शिवपुरी थाना नौतनवा जिला महराजगंज द्वारा वादी की पुत्री का बाजार जाते समय पीछा करना, वादी व परिजनो को जान से मारने की धमकी देना व वादी की पुत्री की इच्छा के बिना दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 335/2026 धारा 78/351(3) बीएनएस व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मान्तरण निषेध अधिनियम - 2021** पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त **सुफियान खान पुत्र शमशुद्दीन खान निवासी ग्राम शिवपुरी थाना नौतनवा जिला महराजगंज हालपता किराये का मकान म0न0 बी -714 बी ब्लाक न्यू अशोक नगर थाना न्यू अशोक नगर जनपद पूर्वी दिल्ली** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुफियान खान उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुफियान खान पुत्र शमशुद्दीन खान निवासी ग्राम शिवपुरी थाना नौतनवा जिला महराजगंज हालपता किराये का मकान म0न0 बी -714 बी ब्लाक न्यू अशोक नगर थाना न्यू अशोक नगर जनपद पूर्वी दिल्ली ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-158/2025 धारा 87 बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर ।

2. मु0अ0सं0 335/2026 धारा 64(1)/78/351(3) बीएनएस व धारा 3/5(1) उ0 प्र0 गैर कानूनी धर्मान्तरण निषेध अधि0 – 2021 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

3. है0का0 908 जितेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी 7,25,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 30.06.2026 को आवेदक मोहित कुमार सिंघल पुत्र बलराम सिंघल नि0 कैलाश पुरम कालोनी, रेलवे रोड, देवबन्द, सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के खातों से RTGS के माध्यम से कुल ₹ 7,36,000/- धोखाधडी कर लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 35/2026 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए **आवेदक मोहित कुमार सिंघल उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रू0 7,25,000/- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी । पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया ।**

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर ।
2. विवेचक निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर ।
3. म0उ0नि0 रश्मी कुमारी, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर ।
4. है0कां0 437 मनोज कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर ।
5. है0कां0 712 निशान्त, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर ।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांक 08.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार किया, कब्जे से कुल 104 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **फैजान उर्फ राजा पुत्र अय्यूब निवासी निकट अफजाल मस्जिद पीर वाली गली नं0-16 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर में सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 104 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 339/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त फैजान उर्फ राजा उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैजान उर्फ राजा पुत्र अय्यूब निवासी निकट अफजाल मस्जिद पीर वाली गली नं0-16 थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 104 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 66/2016 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना को0 मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 511/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 339/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 1269 धीरज मावी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

4. का0 1190 रोहित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मौ0 गुलबहार पुत्र नाजिम निवासी अठन्नी वाला खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं0 104/18 अ0सं0 462/16 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर) को अठन्नी वाला खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 गुलबहार पुत्र नाजिम निवासी अठन्नी वाला खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. रि0का0 1222 बलविन्दर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक:08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *अवगत कराना है कि दिनाँक 04.07.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया को कपडे दिलाने के बहाने से होटल मे ले जाने व वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 78,64(1),123, 351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मुकदमें में* ***वांछित अभियुक्त सावेज पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को पटनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सावेज पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- रि0का0 583 अंकुर सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक:08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *अवगत कराना है कि दिनाँक 23.05.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 176/26 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 07.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त अनुज उर्फ सोनू पुत्र बृजा निवासी ग्राम पीपलहेडी थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर*** *को साइफन पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में दिनांक 31.05.2026 को ही सकुशल बरामद कर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अनुज उर्फ सोनू पुत्र बृजा निवासी ग्राम पीपलहेडी थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः

1- उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- का0 1349 नितिन धनकड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी व अवैध चाकू बरामद

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने/ तस्करी की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त समीर पुत्र फरीद निवासी पेपर मिल रोड कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर*** *को मण्डी समिति परिसर आरती श्याम लाल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की होण्डा स्कूटी (सम्बन्धित मु0अ0स0 335/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार, सहारनपुर) बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर* ***मु0अ0सं0 338/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट*** *के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

समीर पुत्र फरीद निवासी पेपर मिल रोड काशीराम कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *01 अदद नाजायज चाकू*
- *01 अदद होण्डा स्कूटी चोरी की*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 17/2024 धारा 380/ 411/ 457 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 352/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 338/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर ।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2176 श्यामपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1257 अनुज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 08.07.2026 को 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त ***अकरम पुत्र असगर निवासी ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0 4332/25 मु0अ0स0 249/13 धारा 498 बी, 323, 506भादवी व ¾ दहेज अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर) को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ग्राम हरोड़ा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अकरम पुत्र असगर निवासी ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

2. का0 2509 रविन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर अवैध सम्बन्ध बनाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 21.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त ऋतिक कश्यप पुत्र अश्वनी निवासी तोता चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर पिछले 04 साल से शारीरिक सम्बन्ध बनाना व शादी न करना तथा गाली गलौच कर मारपीट करना व धंमकी देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 248/26 धारा 69/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)V SC / ST ACT पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **ऋतिक कश्यप पुत्र अश्वनी निवासी तोता चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ऋतिक कश्यप पुत्र अश्वनी निवासी तोता चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 1249 यशपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 अभियुक्तगण ***1.शिवम पुत्र सुरेश मेहता निवासी मौ0 मथुरा दास मंदिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 2. रिकंल पुत्र रामपाल निवासी मौ0 मथुरा दास मंदिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*** *को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत मालीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.शिवम पुत्र सुरेश मेहता निवासी मौ0 मथुरा दास मंदिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

2. रिकंल पुत्र रामपाल निवासी मौ0 मथुरा दास मंदिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 356 नीरज सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1307 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक 08-07-2026

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 24.06.2022 को वादी उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना-नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना पर अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर के कब्जे से 1200 नशे की नाजायज गोली बरामद होने पर मु0अ0सं0-158/2022 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-2050/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 08.07.2026 को अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सिमलाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0-158/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री सुशील यादव व(ए0डी0जी0सी0) रीतू गर्ग
विवेचक- उ0नि0 श्री रूप चन्द
पैरोकार- है0का0 788 नौशाद राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 08-07-2026

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा जबरजस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुये लैंगिक हमला कारित करने के अभियोग में अभियुक्त को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.02.2021 को वादिया की लिखित तहरीर पर अभियुक्त मोहित उर्फ चाहत पुत्र कालूराम निवासी नवीननगर जनपद सहारनपुर के द्वारा पीडिता से जबरजस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुये लैंगिक हमला कारित करने पर मु0अ0सं0- 53/2021 धारा- 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सों एक्ट थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1200/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते* ***माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.07.2026 को अभियुक्त मोहित उर्फ चाहत पुत्र कालूराम निवासी नवीननगर जनपद सहारनपुर को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-53/2021 धारा- 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी

विवेचक- उ0नि0 श्री गौरव राठी

पैरोकार- का0 2563 नरेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक - 08.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्ति को सुरक्षित बचाकर परिजनों से मिलाया

अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.07.2026 को यूपी-112 की पीआरवी-0085 को सूचना प्राप्त हुई कि खानआलमपुरा रेलवे यार्ड के समीप एक व्यक्ति रेलवे लाइन के पास बैठा है तथा आत्महत्या करने की मंशा रखता है। सूचना मिलते ही पीआरवी द्वारा तत्काल थाना जनकपुरी पुलिस को अवगत कराया गया।

सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति तक पहुंचकर उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने से सुरक्षित रोका तथा उसे सकुशल थाना जनकपुरी लाया गया।

थाने पर पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने अपना नाम **अशोक कुमार पुत्र चमनलाल, निवासी ग्राम चकहरेटी, थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर, उम्र लगभग 60 वर्ष** बताया। इसके उपरांत प्रभारी निरीक्षक द्वारा संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उससे विस्तृत वार्ता की गई तथा उसके परिजनों को थाने बुलाया गया। सूचना पर उसकी पत्नी श्रीमती रेखा देवी एवं भाई श्री अरुण कुमार थाना जनकपुरी पहुंचे।

प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह के द्वारा अशोक कुमार एवं उनके परिजनों की आवश्यक काउंसलिंग की गई। इसके पश्चात अशोक कुमार को सकुशल उनकी पत्नी एवं भाई के सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. म0उ0नि0 मोनिका यादव थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. कां0 1766 मोहन थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. कां0 1804 प्रमोद कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर।